अध्याय पाँचः ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के कार्यकलाप

5.1 प्रस्तावना

राज्य के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अधोसंरचना उपलब्ध करवाकर ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र के पीएसयूज राज्य की जीएसडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते है, जैसा कि इन पीएसयूज के टर्नओवर एवं जीएसडीपी के अनुपात से देखा जा सकता है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में ऊर्जा क्षेत्र के छः पीएसयूज थे। इनमें से पाँच के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण को इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। एक पीएसयू अर्थात् उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (यूसीआरवीयूएल)[1] जो वर्ष 2018–19 में सम्मिलित हुई, ने अपनी व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थी। नीचे दी गई **तालिका 5.1** मार्च 2019 की स्थिति में समाप्त विगत तीन वर्षो के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों एवं छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को दर्शाती है।

तालिका 5.1: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
टर्नओवर	20,024.86	22,756.12	22,794.73
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत	32.03	13.64	0.17
छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी	2,54,722	2,84,194	3,11,660
विगत वर्ष की जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन का प्रतिशत	12.02	11.57	9.66
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	7.86	8.01	7.31

(स्त्रोतः टर्नओवरः पीएसयूज के लेखें ; जीएसडीपी : छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक समीक्षा 2018–19)

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कम रहा जो कि वर्ष 2016–17 में 32.03 प्रतिशत से वर्ष 2018–19 में 0.17 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016–19 के दौरान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी की कम्पाउन्डेड एवरेज ग्रोथ रेट (सीएजीआर)[2] 6.96 प्रतिशत थी, जबकि इसी दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर ने 4.41 प्रतिशत की निम्नतर सीएजीआर दर्ज की। इसके परिणामस्वरुप इन पीएसयूज के टर्नओवर की जीएसडीपी में भागीदारी वर्ष 2016–17 में 7.86 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 7.31 प्रतिशत रह गई।

5.1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सीएसईबी) का पाँच नई कम्पनियों नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल) में कार्यात्मक विभाजन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार में 1 जनवरी 2009 से प्रभावशील किया गया था। सीएसईबी की समस्त सम्पत्तियों एवं

[1] यूसीआरवीयूएल (पूर्ववर्ती इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड) एक गैर–सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी जिसको 25 जनवरी 2006 को निगमित किया गया था, वह 22 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी बन गयी।

[2] सीएजीआर = [{(2018–19 का मूल्य / 2016–17 का मूल्य)^ (1 / 3 वर्ष)}–1] x 100

दायित्वों (₹ 4,475.90 करोड़[3] की पूँजी तथा ₹ 2,985.41 करोड़ का ऋण एवं पूँजीगत दायित्व को सम्मिलित करते हुये) को राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2010 को अधिसूचित ट्रांसफर स्कीम रुल्स, 2010 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य वितरित की गई। आगे, इन नियमों के अनुसार पूर्ववर्ती सीएसईबी की सभी सम्पत्तियाँ एवं समस्त हित, अधिकार, दायित्व इत्यादि जनवरी 2009 से राज्य शासन को हस्तांतरित होंगे एवं उसमें निहित रहेंगे।

5.2 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का पुनर्गठन, विनिवेश एवं निजीकरण

वर्ष 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का विनिवेश नहीं किया गया एवं न ही इन पीएसयूज का निजीकरण किया गया।

5.3 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश

31 मार्च 2019 की स्थिति में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य (पूँजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) के गतिविधिवार निवेश का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2 : ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में गतिविधिवार कुल निवेश

गतिविधि	पीएसयूज की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
ऊर्जा का उत्पादन	2	3,014.30	7,549.63	**10,563.93**
ऊर्जा का पारेषण	1	904.71	1,281.10	**2,185.81**
ऊर्जा का वितरण	1	2,263.10	2,502.35	**4,765.45**
अन्य[4]	2	609.78[5]	–	**609.78**
योग	**6**	**6,791.89**	**11,333.08**	**18,124.97**

(स्त्रोतः वार्षिक लेखे/पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

31 मार्च 2019 की स्थिति में, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश में से 37.47 प्रतिशत अंश पूँजी में तथा 62.53 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में था। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 1.34 प्रतिशत (₹ 151.65 करोड़) थे तथा 98.66 प्रतिशत (₹ 11,181.43 करोड़) अन्य स्त्रोतों से लिए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। 2018–19 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ने नवीन निगमित सरकारी कम्पनी नामतः उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड में ₹ 200 करोड़ पूँजी के रूप में निवेश किये, को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रुप में किये गये निवेश का वर्षवार विवरण **चार्ट 5.1** में दिया गया है।

[3] छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2017 को पूँजी की अंतिम राशि को सीएसपीएचसीएल (₹ 715.58 करोड़), सीएसपीजीसीएल (₹1,230.26 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 749.05 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 1,780.96 करोड़) तथा सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में बाँटा।

[4] सीएसपीएचसीएल तथा सीएसपीटीआरसीएल ।

[5] छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 6,591.89 करोड़ की पूँजी सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कम्पनी) को दी, जिसमें से कम्पनी ने ₹ 5,982.16 करोड़ अपनी चार सहायक कम्पनियों में पुनर्निवेश कर दिया। इसलिए, शेष राशि ₹ 609.73 करोड़ को सीएसपीएचसीएल की पूँजी के रुप में दिखाया गया हैं। **(परिशिष्ट–5.1)** ।

चार्ट 5.1: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में राज्य सरकार का निवेश

(₹ करोड़ में)

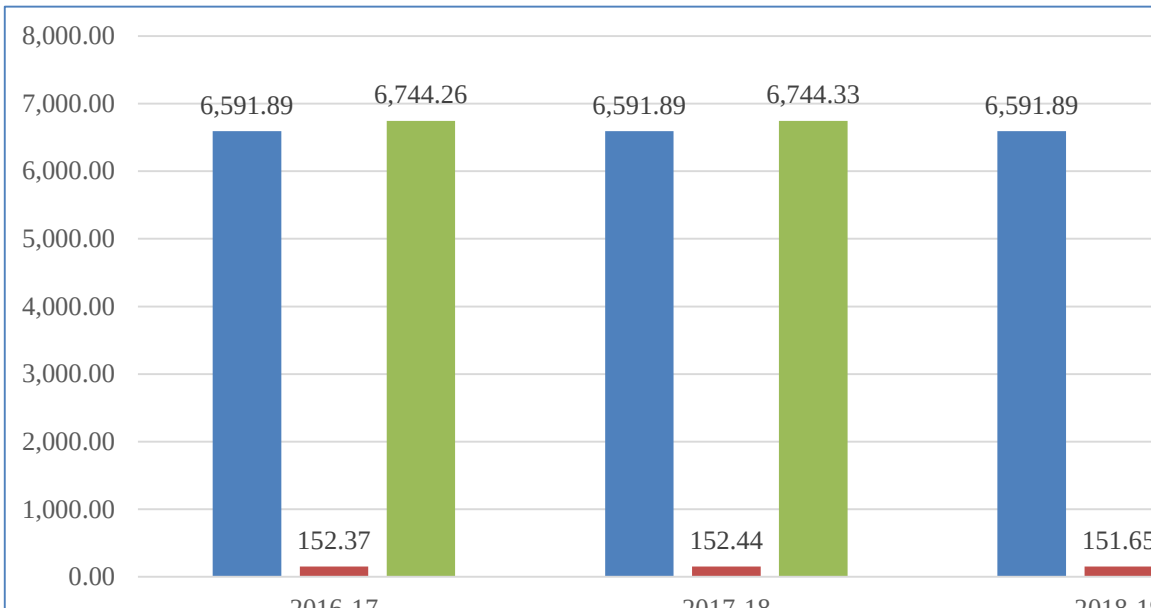

5.4 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को बजटीय सहायता

राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज के संबंध में पूँजी, ऋण अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण तथा वर्ष के दौरान पूँजी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय बहिर्गमन का सारांशित विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
(i) अंश पूँजी	1	490.00	–	–	–	–
(ii) ऋण	–	–	–	–	–	–
(iii) अनुदान/सब्सिडी	1	1,291.46	1	2,911.29	1[6]	**2,333.77**
बहिर्गमन का योग (i+ii+iii)	**2**	**1,781.46**	1	**2,911.29**	**1**	**2,333.77**
बकाया गारंटी	2[7]	2,739.59	1	2,318.12	1[6]	**1,895.62**
गारंटी प्रतिबद्धता	**2[8]**	**3,118.88**	**1**	**2,955.00**	**1[6]**	**2,455.00**

(स्त्रोतः वार्षिक लेखे/पीएसयूज द्वारा प्रदान की गयी जानकारी)

जैसा कि तालिका में देखा जा सकता है, इन पीएसयूज द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता वर्ष 2016–17 में ₹ 1,781.46 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में ₹ 2,333.77 करोड़ हो गई। इसमें 2018–19 के दौरान सीएसपीडीसीएल को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे एकल बत्ती कनेक्शन, कृषि पंपों को

[6] सीएसपीडीसीएल ।

[7] यह आंकड़े सीएसपीएचसीएल (₹ 163.89 करोड़) तथा सीएसपीडीसीएल (₹ 2,575.70 करोड़) से सम्बन्धित हैं।

[8] यह आंकड़े सीएसपीएचसीएल (₹ 429.30 करोड़) तथा सीएसपीडीसीएल (₹ 2,689.58 करोड़) से सम्बन्धित हैं।

निःशुल्क विद्युत आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना, कृषि पंपों का विद्युतीकरण इत्यादि के लिए प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी तथा राजस्व सब्सिडी सम्मिलित है।

आगे, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन तथा वित्तीय बदलावों के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्यारेंस योजना (उदय) योजना भी प्रारम्भ की (20 नवंबर 2015)। उदय के प्रावधानों तथा सीएसपीडीसीएल द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा इस अध्याय की **कण्डिका 5.7** में की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय गारंटी नियम (सीएसजीजीआर), 2003 के अंतर्गत राज्य शासन मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु गारंटी प्रदान कर ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद करती है। इस प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज पर अनुदान आदेश में निर्दिष्ट दर तथा अवधि के लिए गारंटी शुल्क प्रभारित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएँ 21.28 प्रतिशत घटकर 2016–17 में ₹ 3,118.88 करोड़ से 2018–19 में ₹ 2,455.00 करोड़ हो गई। यद्यपि, ये गारंटियाँ किसी गारंटी शुल्क के भुगतान से मुक्त थी।

5.5 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.5.1 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा लेखों को तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 (1) के अनुसार पीएसयूज को अपने लेखे सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक अंतिमीकृत करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल होने पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 99 के अनुसार दाण्डिक प्रावधान लागू हो सकते हैं। नीचे दी गई **तालिका 5.4** ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज द्वारा 31 दिसंबर 2019 की स्थिति में अपने लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति की प्रगति के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 5.4: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

स.क्र.	विवरण	2016–17[9]	2017–18[9]	2018–19[9]
1.	पीएसयूज की संख्या	5	5	6
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखों की संख्या	5	5	8
3.	चालू वर्ष के लेखों को अंतिमीकृत करने वाले पीएसयूज की संख्या	–	–	2
4.	पूर्व वर्ष के लेखों की संख्या जो चालू वर्ष में अंतिमीकृत हुई	5	5	6
5.	लेखों में बकाया वाले पीएसयूज की संख्या	5	5	4
6.	बकाया लेखों की संख्या	5	5	4
7.	**बकाया लेखों की सीमा**	**1 वर्ष**	**1 वर्ष**	**1 वर्ष**

(स्त्रोतः सम्बन्धित वर्ष के 31 दिसंबर की स्थिति में प्राप्त पीएसयूज के वार्षिक लेखे)

5.6 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का निष्पादन

31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम, **परिशिष्ट 5.2** में दिये गये है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। कम्पनी की लाभप्रदायकता को पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) कुल निवेश के वर्तमान मूल्य से लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है।

[9] सम्बन्धित वर्ष के 31 दिसंबर तक प्राप्त हुए लेखों पर विचार किया गया हैं।

आरओआरआर पूँजी तथा समान ब्याजरहित पूँजी को उनके समय मूल्य के समायोजन पश्चात् नियोजित करने की लाभप्रदायकता एवं दक्षता को मापता है। यह महत्व रखता है जब इसकी तुलना प्रतिफल की पारंपरिक दर से की जाती है, जिसकी गणना कर पश्चात् लाभ (पीएटी) को ऐसे सभी निवेशों, जिनकी गणना ऐतिहासिक लागत के आधार पर की गई हो, के योग से विभाजित कर की जाती है। इस उद्देश्य के लिए निवेश में पूँजी, ब्याजमुक्त ऋण, परिचालन और प्रबंधन व्यय के लिए प्राप्त अनुदान और सब्सिडी सम्मिलित हैं। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदायकता एवं उसकी पूँजी के उपयोग में दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन की एक माप है जिसकी गणना निवल पीएटी को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

जैसा कि **कण्डिका 5.3** में चर्चा की गई है, राज्य सरकार एवं अन्य का ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 18,124.97 करोड़ था, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 6,791.89 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 11,333.08 करोड़ सम्मिलित थे **(परिशिष्ट 5.1)**। इसमें से राज्य सरकार द्वारा पाँच पीएसयूज में किये गये ₹ 6,743.54 करोड़ के निवेश में ₹ 6,591.89 करोड़ पूँजी के रूप में एवं ₹ 151.65 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में सम्मिलित था।

5.6.1 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि[10] की समग्र स्थिति को **चार्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.2: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि

(₹ करोड़ में)

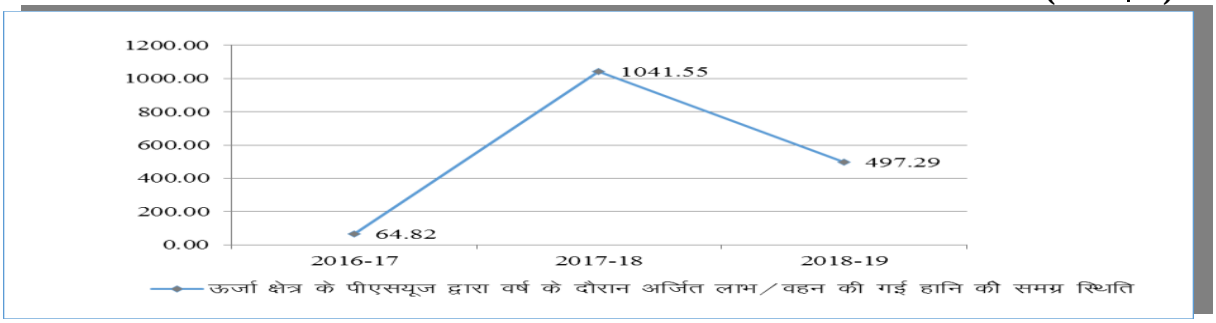

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान पाँच पीएसयूज का समग्र लाभ ₹ 64.82 करोड़ से ₹ 1,041.55 करोड़ के मध्य रहा। पाँच पीएसयूज में से, तीन पीएसयूज ने ₹ 779.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा दो पीएसयूज ने ₹ 282.20 करोड़ की हानि वहन की **(परिशिष्ट 5.2)**। लाभ कमाने वाली प्रमुख कम्पनियों में सीएसपीजीसीएल (₹ 671.82 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 106.83 करोड़) थीं, जबकि सीएसपीडीसीएल ने सर्वाधिक हानि (₹ 279.14 करोड़) दर्ज की।

2016–19 के तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित/हानि वहन करने वाले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की संख्या को **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

[10] आंकड़ें सम्बन्धित वर्ष के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों पर आधारित है।

तालिका 5.5: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की संख्या जिन्होने लाभ अर्जित किया/हानि वहन की

वित्तीय वर्ष	पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले पीएसयूज की संख्या
2016–17	5	3	2
2017–18	5	3	2
2018–19	5	3	2

5.6.1.1 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज के निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की गणना राज्य और केंद्र सरकारों एवं अन्यों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूँजी, दीर्घावधि ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में किये गये निवेश से की गई है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज की आरओआई को **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.6: निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी, दीर्घावधि ऋणों, अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में निवेश				वर्ष के लिए कुल लाभ/हानि	निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
	राज्य	केंद्र	अन्य	कुल		
2016–17	8,955.51	–	11,287.85	20,243.36	64.82	0.32
2017–18	10,293.62	–	13,359.47	23,653.09	1,041.55	4.40
2018–19	10,547.83	–	11,181.43	21,729.26	497.29	2.29

वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज में निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर आरओआई की दर धनात्मक थी तथा यह 0.32 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत के मध्य रही। 2018–19 के दौरान सीएसपीडीसीएल द्वारा वहन की गई अत्यधिक हानि का ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की कुल आरओआई में आई गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

5.6.1.2 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

सरकारों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में किये गये महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, इस निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर जानना आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पीवी) की उपेक्षा करती है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) का पता लगाने के लिये धन के पीवी को ध्यान में रखते हुए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश के पीवी की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है:

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2019 की स्थिति में की गई जहाँ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रूप में निवेशित किया गया है।
- वैसे दीर्घावधि ऋण जिन पर ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयूज द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि में ऋणों के कम हुए शेष पर की गई थी।

- ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कोई ब्याजमुक्त ऋण या विनिवेश नहीं था। यद्यपि प्रबंधन/परिचालन व्यय/पूँजी के लिये अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश माना गया है।
- सम्बन्धित वर्ष[11] के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य की छूट की दर के रूप में अपनाया गया गया क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए सरकारी ऋणों पर सम्बन्धित वर्ष के लिए ब्याज की औसत दर को कम्पाउन्डेड दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं, इसलिए इसे निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि को राज्य सरकार के निवेश के रूप में माना गया है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को देय कम्पनी के ऋणों के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसपीडीसीएल को उदय योजना के अन्तर्गत ₹ 870.12 करोड़ का अनुदान दिया गया।

वर्ष 2018–19 के अंत में राज्य सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के इन पाँच पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 10,547.83 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹ 6,591.89 करोड़), डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण (₹ 151.65 करोड़) एवं पूँजीगत अनुदान/सब्सिडी (₹ 3,804.29 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹ 17,850.27 करोड़ की गई। विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र के दो पीएसयूज[12] के सम्बन्ध में जिन्होंनें 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान हानियाँ वहन की, निवल मूल्य के क्षरण का मूल्यांकन निष्पादन की एक ज्यादा उपयुक्त माप है।

5.6.2 निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

अंशधारकों के कोष ₹ 6,744.33 करोड़ के विरूद्ध, इन पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित संचित हानि ₹ 5,339.97 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2019 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹ 1,404.36 करोड़ हुआ। दो पीएसयूज नामतः सीएसपीडीसीएल एवं सीएसपीटीआरसीएल, जिन्होंनें वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹ 279.14 करोड़ एवं ₹ 3.06 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹ 6,286.49 करोड़ की कुल संचित हानि प्रतिवेदित की। अन्य तीन पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ ने ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के निवल मूल्य के सुधार में योगदान दिया **(परिशिष्ट 5.2)**।

---

[11] सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/{(पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} X 100

[12] सीएसपीडीसीएल एवं सीएसपीटीआरसीएल ।

5.6.3 लाभांश का भुगतान

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, पाँच में से तीन पीएसयूज ने राज्य सरकार की ₹ 4,328.74 करोड़[13] की पूँजी पर ₹ 779.49 करोड़ का कुल लाभ कमाया। इन पीएसयूज में से किसी ने भी राज्य सरकार को लाभांश का भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार ने राज्य पीएसयूज के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है जिससे उन्हें लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता है।

5.6.4 पूँजी पर प्रतिफल

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[14] वित्तीय निष्पादन की एक माप है जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावी तरीके से किया गया है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करो के पश्चात् शुद्ध लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं अंशधारकों की निधि दोनों धनात्मक हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज के लिए पूँजी पर प्रतिफल की गणना की गई है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज से सम्बन्धित अंशधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण **तालिका–5.7** में दिया गया है।

तालिका– 5.7: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के अंशधारकों की निधि एवं आरओई

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन[15]	अंशधारको की निधि	आरओई(प्रतिशत) 5= 3/4*100
	1	2	3	4	
			(₹ करोड़ में)		
लाभार्जन करने वाले	2016–17	3	489.52	3,910.71	12.52
	2017–18	3	1,323.75	5,234.46	25.29
	2018–19	3	779.49	5,341.28	14.59
हानि वहन करने वाले	2016–17	2	–424.70	–3,654.79	11.62
	2017–18	2	–282.20	–3,936.92	7.17
	2018–19	2	–282.20	–3,936.92	7.17
कुल	2016–17	5	64.82	255.92	25.33
	2017–18	5	1,041.55	1,297.54	80.27
	2018–19	5	497.29	1,404.36	35.41

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान आरओई धनात्मक थी एवं 25.33 प्रतिशत से 80.27 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की आरओई बढ़ी, जिसका मुख्य कारण विद्युत उत्पादन से राजस्व में 18.36 प्रतिशत (₹ 975.80 करोड़) की वृद्धि थी।

5.6.5 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक लाभप्रदायकता मैट्रिक्स है जो किसी कम्पनी द्वारा उसकी

[13] सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल की प्रदत्त पूँजी इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार।

[14] पूँजी पर प्रतिफल = (कर के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100, जहाँ पूँजी=प्रदत पूँजी+मुक्त संचय/संचित लाभ+डिफॉल्टेड ऋण है।

[15] सम्बन्धित वर्षों के वार्षिक लेखों के आधार पर।

कुल पूँजी को उपयोग करने की दीर्घावधि लाभप्रदायकता तथा दक्षता मापता है। आरओसीई की गणना एक कम्पनी की ब्याज एवं करों के पूर्व की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[16] से विभाजित करके की जाती है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज के लिए 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान आरओसीई का विवरण **तालिका–5.8** में दिया गया है।

तालिका–5.8: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई(प्रतिशत) 5= 3/4*100
	1	2	3	4	
			(₹ करोड़ में)		
लाभार्जन करने वाले	2016–17	3	1,780.80	13,847.33	12.86
	2017–18	3	2,385.43	14,453.77	16.50
	2018–19	3	1,869.47	14,039.97	13.32
हानि वहन करने वाले	2016–17	2	–126.99	–1,038.86	–12.22
	2017–18	2	89.19	–1,363.09	–6.54
	2018–19	2	89.19	–1,363.09	–6.54
कुल	2016–17	5	1,653.81	12,808.47	12.91
	2017–18	5	2,474.62	13,090.68	18.90
	2018–19	5	1,958.66	12,676.88	15.45

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, मुख्य रुप से सीएसपीजीसीएल के लाभ में वृद्धि और सीएसपीडीसीएल की हानियों में कमी के कारण आरओसीई धनात्मक थी एवं 12.91 प्रतिशत से 18.90 प्रतिशत के मध्य रहा, जिसके परिणामस्वरुप ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की ईबीआईटी में समग्र वृद्धि हुई।

5.6.6 कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋणों के भुगतान की क्षमता का मूल्यांकन ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) के माध्यम से किया जाता है।

5.6.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

आईसीआर का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ईबीआईटी को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे का आईसीआर इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान के बकाया ऋण थे, आईसीआर का विवरण **तालिका–5.9** में दिया गया है।

[16] नियोजित पूँजी = प्रदत पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/–संचित हानि। आंकड़े पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों का अंतिम रुप दिया गया है, के अनुसार है।

तालिका 5.9: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी[17] (₹ करोड़ में)	ब्याज कवरेज अनुपात	कम्पनियों की संख्या जिसमें ब्याज का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था
2016–17	1,588.51	1,655.30	1.04	3	2	1
2017–18	1,432.66	2,476.43	1.73	3	2	1
2018–19	1,362.94	1,960.47	1.44	3	2	1

यह देखा गया कि 2016–17 से 2018–19 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, ब्याज के दायित्वों वाले तीन पीएसयूज में से एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) का आईसीआर एक से कम था।

5.7 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

भारत सरकार ने डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) का प्रारम्भ 20 नवम्बर 2015 को किया। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

5.7.1 संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियाँ जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफॉर्मर एवं मीटरों का उन्नयन या बदलाव, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, बिजली चोरी की जाँच करने के लिए व्यापक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन (आईईसी) अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए एग्रीगेटेड टेक्नीकल एण्ड कॉमर्शियल (एटीएंडसी) हानि को कम किया गया है, आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसरण की भी आवश्यकता थी ताकि लक्षित लाभों की उपलब्धि जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकि नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि, सुनिश्चित किया जा सके। परिचालन सुधारों को परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018–19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018–19 तक शून्य करना आदि था।

5.7.2 वित्तीय बदलाव के लिए योजना

भागीदार राज्यों को 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में डिस्कॉम्स के बकाया ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण करना था, अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय बदलाव के लिए योजना में अन्य बातों के अलावा प्रावधान था कि:

- राज्य गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम को स्थानांतरित कर देगा जो इससे

[17] दीर्घावधि ऋण वाले पीएसयूज के ईबीआईटी संबंधी आंकड़ें।

बैंकों/वित्तीय संस्थानों की ऋण की राशि का भुगतान कर देगा। इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों की 10 से 15 साल की परिपक्वता अवधि होगी जिसमें 5 साल तक मूलधन न चुकाने की छूट होगी।

- डिस्कॉम के ऋण में पहले देय ऋण को प्राथमिकता में लिया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।
- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

5.7.3 उदय योजना का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

5.7.3.1 परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है।

तालिका–5.10: संचालन निष्पादन के मापदण्डवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

उदय योजना के मापदण्ड	लक्ष्य	प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
वित्तीय बदलाव			
डिस्कॉम्स के ऋणों का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान में रूपान्तरण द्वारा अधिग्रहण (₹ करोड़ में)	865.20	870.12	100
एटीएंडसी हानि में कमी (प्रतिशत में)	15	20.49	प्राप्त नही हुआ
एसीएस–एआरआर अंतर का विलोपन (₹ प्रति इकाई तक)	कोई अन्तर नही	–0.04	प्राप्त नही हुआ
बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	85.28	83.40	97.80
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)	99.66	96.11	96.44
परिचालन बदलाव			
वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग (शहरी) (संख्या में)	92,811	5,095	5.49
वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	1,04,488	7,031	6.73
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	2,023	1,898	93.82
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	2,793	2,565	91.84
500 किलोवाट घण्टा से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	4,88,307	निरंक	निरंक
असम्बंद्ध परिवारों तक विद्युत पहुँच (लाख में)	9.88	9.71	98.28
उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण (लाख में)	75	135.77	181
भौतिक फीडर पृथक्करण (संख्या में)	1,179	153	12.98

(स्त्रोतः– पीएसयूज द्वारा प्रदत सूचना)

राज्य ने उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग की कार्यवाही प्रारभ नहीं की है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग, फीडर मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण में खराब प्रदर्शन किया है जबकि असंबंद्ध परिवारों को विद्युत प्रदान करने एवं एलईडीज के वितरण में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य की एटीएंडसी हानि 15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 2018–19 तक 20.49 प्रतिशत थी। अतः राज्य एटीएण्डसी हानि में कमी का, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

5.7.3.2 वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

ऊर्जा मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) एवं छत्तीसगढ़ राज्य डिस्कॉम के मध्य एक त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर (जनवरी 2016) किया गया। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में सीएसपीडीसीएल से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 1,740.24 करोड़) में से छत्तीसगढ़ शासन को ₹ 1,305.18 करोड़ (कुल ऋण का 75 प्रतिशत) का अधिग्रहण करना था जिसके विरूद्ध 2015–16 में ₹ 870.12 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 435.06 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाना था। यद्यपि, राज्य सरकार एवं सीएसपीडीसीएल ऋणपत्रों से ऋणों के अपवर्जन के कारण छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीडीसीएल के मूल ऋणों को ₹ 1,153.60 करोड़ से संशोधित किया जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन केवल ₹ 865.20 करोड़ (₹ 1,153.60 करोड़ का 75 प्रतिशत) का अनुदान देने हेतु उत्तरदायी थी। राज्य सरकार ने राशि सीएसपीडीसीएल को 2015–16 के दौरान ही जारी कर दिया।

5.8 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

ऊर्जा क्षेत्र के छः पीएसयूज ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपने आठ वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किये। सभी आठ लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती है कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2016–19 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका–5.11** में दिया गया है।

तालिका–5.11: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016–17		2017–18[18]		2018–19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	3	20.75	–	–	3	29.92
2	लाभ में वृद्धि	–	–	–	–	1	9.40
3	हानि में वृद्धि	1	167.79	–	–	–	–
4	हानि में कमी	–	–	–	–	1	7.20
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	4	281.62	–	–	1	5.77
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	–	–	–	–	1	5.13

(स्त्रोतः सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2018–19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी आठ लेखों पर मर्यादित प्रमाण–पत्र जारी किये थे। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन नहीं करने के दस मामलों को उल्लेखित किया था।

[18] इस अवधि के दौरान प्राप्त किसी भी लेखे में लाभ/हानि में वृद्धि/कमी, महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना या वर्गीकरण की त्रुटियाँ नहीं थीं अथवा उक्त अवधि में लेखों पर टिप्पणियाँ अंतिमीकृत नहीं की गई थीं।